सहायक कंपनी की मेटीरियलिटी निर्धारण नीति
सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015) के अनुसार

I. परिचय

यह पॉलिसी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) की "संबंधित पार्टी के लेनदेन की पॉलिसी ऑन मेटीरियलिटी तथा संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन हेतु कार्य" कही जाएगी।

यह पॉलिसी, सेबी (सूचीकरण दायित्व दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम 2015 (सेबी) (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई है ।

II. परिसीमा

यह पॉलिसी, कंपनी तथा उसकी संबंधित पार्टियों के बीच होने वाली सभी लेनदेन पर लागू होगी।

III. उद्देश्य

यह पॉलिसी, संबंधित पार्टी की लेनदेन से जुड़ी मेटीरियलिटी के निर्धारण हेतु मानदंड उपलब्ध कराती है । इस पॉलिसी का उद्देश्य, उचित अनुमोदन एवं हडको और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुपालन में संबंधी पार्टी के बीच लेनदेन की सूचना, डीपीई दिशानिर्देश, एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015, तथा इससे संबंधित, निर्धारित समय के लिए लागू होने वाले अन्य सांविधिक प्रावधान सुनिश्चित करना है ।

IV. परिभाषा

1. **आर्म लेंग्थ ट्रांजेक्शन**: अर्थात दो संबंधित पार्टियों के बीच की गई ऐसी लेनदेन जिससे लगे कि उनका पारस्परिक संबंध नहीं है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) की व्याख्या (ख) के अनुसार दोनों के बीच किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न न हों।

2. **सहयोगी कंपनी**: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(6) के अनुसार किसी अन्य कंपनी के साथ सहयोगी कंपनी का अर्थ उस कंपनी से होगा जिसमें दूसरी कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव दृष्टिगोचर हो, किंतु वह उस कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होगी जिसका इस तरह का प्रभाव पड़े और जिसमें एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी सम्मिलित हो।

व्याख्या: इस खंड के उद्देश्य की दृष्टि से "उल्लेखनीय प्रभाव" का अर्थ कुल शेयर पूँजी के कम से कम 20 प्रतिशत अंश पर नियंत्रण, या समझौते के अंतर्गत व्यापारिक निर्णयों पर नियंत्रण से है।

3. **लेखापरीक्षा समिति** : का अर्थ सूचीकरण समझौता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित ''लेखापरीक्षा समिति'' से है।

4. **बोर्ड:** का अर्थ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉपोर्रेशन लिमिटेड (हडको) के निदेशक मंडल से है।

5. **कंपनी** : का अर्थ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉपोर्रेशन लिमिटेड (हडको) से है।

6. **सरकारी कंपनी** : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, 'सरकारी कंपनी' का अर्थ किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सरकारों के पास रहता है अथवा आधा केंद्र सरकार और आधा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास रहता है, तथा जिसमें इस किस्म की सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी भी शामिल की जाती है।

7. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-**

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक
(2) कंपनी सचिव
(3) पूर्णकालिक निदेशक
(4) प्रमुख वित्त अधिकारी और
(5) निर्धारित किया गया कोई अन्य अधिकारी

8. **संबंधित पार्टी -** किसी संस्था को कंपनी से तभी जोड़ा जाएगा जब

(1) वह संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत वर्णित एक संबंधित पार्टी है अथवा

(2) वह संस्था लागू लेखा मानक(कों) के अंतर्गत संबंधित पार्टी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत वर्णित संबंधित पार्टी का अर्थ

(1) निदेशक अथवा उसके संबंधी

(2) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी अथवा उसके संबंधी

(3) फर्म जिसमें निदेशक, प्रबंधक अथवा उसके संबंधी पार्टनर हैं

(4) निजी कंपनी जिसमें निदेशक अथवा प्रबंधक, सदस्य या निदेशक है।

5) सार्वजनिक कंपनी जिसमे निदेशक या प्रबंधक, निदेशक हो या अपने रिश्तेदारों के साथ प्रदत शेयर पूँजी का 2 प्रतिशत से अधिक अंशदान का मालिक हो ।

6) कोई भी कॉर्पोरेट संस्था जिसके निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, या निदेशक अनुदेश या दिशानिर्देशो एवं परामर्शनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

7) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देश अथवा अनुदेश पर निदेशक या प्रबंधक कार्य करते हैं।

बशर्ते उपखंड (6) और (7) में व्यावसायिक क्षमता के अंतर्गत दिए गए परामर्श, दिशानिर्देश या अनुदेश इन पर लागू नहीं होते हों।

8) कोई भी कंपनी जो-

क) ऐसी कंपनी की धारक, सहायक या सहयोगी कंपनी हो; या

ख) धारक कंपनी की सहायक कंपनी हो तथा वह उसकी एक सहायक कंपनी भी है ।

9) धारक कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उसके संबंधी ।

10) कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान निश्चित समयावधि के लिए निर्धारित किया गया इसी तरह का कोई अन्य व्यक्ति ।

लागू लेखा मानक के अंतर्गत संबंधित पार्टी:

पार्टी को संबंधित तभी माना जाएगा यदि किसी भी समय सूचित अवधि के दौरान, एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी को नियंत्रण करने अथवा वित्तीय या परिचालन निर्णय में दूसरी पार्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता हो । इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

क) उपक्रम जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक या एक से अधिक मध्यवर्ती, नियंत्रण या नियंत्रित हो या सूचित उपक्रम के साथ सामान्य रूप से नियंत्रित हो (इसमें धारक कंपनी, सहायक तथा सहयोगी सहायक कंपनियां शामिल है)

ख) सूचित उपक्रम के सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रम तथा जिसमे सूचित उपक्रम एक सहयोगी या संयुक्त उपक्रम की निवेशक पार्टी या उद्यमी है ।

ग) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपत्ति, सूचित उपक्रम में मताधिकार जो उनको उपक्रम में तथा किसी भी अन्य संबंधियों पर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव डालता हो ।

घ) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी तथा कर्मियों के संबंधी वे होते हैं जिनके पास सूचित उपक्रम की योजना, निर्देश तथा नियंत्रण करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी होती है, तथा

ङ) ऐसा कोई भी उपक्रम जिसपर (3) और (4) में वर्णित कोई व्यक्ति उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सक्षम है । इसके अंतर्गत सूचित उपक्रम के निदेशक या प्रमुख शेयरधारक के स्वामित्व वाले उपक्रमों के अतिरिक्त ऐसे उपक्रम भी शामिल है जिनमे सूचित उपक्रम के साथ सामान्य रूप से मुख्य प्रबंधन में एक सदस्य भी शामिल होता है ।

पूर्वोक्त लेखा मानक का खंड 10, संबंधी पार्टी के संबंध में प्रासंगिक निम्नलिखित नियम परिभाषित करता है:

संबंधित पार्टी	पार्टी को संबंधित तभी माना जाएगा यदि किसी भी समय सूचित अवधि के दौरान, एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी को नियंत्रण करने की क्षमता हो या वित्तीय या परिचालन निर्णय में दूसरी पार्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हो ।
संबंधित पार्टी लेन-देन	संसाधनों के स्थानांतरण या पार्टी के बीच दायित्व, भले ही कीमत वसूली गई हो या न वसूली गई हो ।
नियंत्रण	(1)प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या एक से अधिक उपक्रम के मताधिकार का स्वामित्व, या (2) कंपनी से संबंधी निदेशक मंडल की संरचना में नियंत्रण या किसी अन्य उपक्रम के अनुरूप संबंधी संचालक मंडल का गठन, या (3) कानूनी समझौते, वित्तीय तथा/अथवा उपक्रम की प्रचालन नीतियों द्वारा मताधिकार में पर्याप्त अधिकार ।
महत्वपूर्ण प्रभाव	उपक्रम के परिचालन नीतियों के निर्णय तथा/या वित्तीय में भागीदारी परन्तु यह इन नीतियों के नियंत्रण में नहीं है ।
एसोसिएट	ऐसे उपक्रम जिनमें निवेशक सूचित पार्टी के पास महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं तथा जो न तो सहायक कंपनी है और न ही उस पार्टी का संयुक्त उपक्रम है ।
संयुक्त उपक्रम	संविदा संबंधी समझौते जिसमे दो या दो से अधिक पार्टी आर्थिक कार्य करने का अधिकार रखती हैं जो संयुक्त नियंत्रण की दृष्टि से संबंधित भी है ।
संयुक्त नियंत्रण	आर्थिक गतिविधियों की वित्तीय तथा परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने वाली पारस्परिक रूप से सहमत शक्तियों का आदान प्रदान ताकि इनका

	लाभ उठाया जा सके ।

9. **संबंधित पार्टी की लेनदेन**: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 में निम्नलिखित के संबंध में संबंधित पार्टी के साथ सभी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है:

(क) किसी सामान अथवा मेटीरियल की बिक्री, खरीद या आपूर्ति
(ख) किसी किस्म की संपत्ति की बिक्री अथवा निपटान या खरीद
(ग) किसी किस्म की संपत्ति को लीज़ पर देना
(घ) किसी किस्म की सेवाएं लेना या उपलब्ध कराना
(ड) सामान, मेटीरियल, सेवा या संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए एजेन्ट की नियुक्ति
(च) कंपनी, इसकी सहायक कंपिनयों अथवा सहयोगी कंपनियों में में लाभ के पद पर किसी कार्यालय या सथान पर इस प्रकार की संबंधी पार्टियों की नियुक्ति
(छ) कंपनी की प्रतिभूतियों अथवा व्युत्पन्न के सब्सक्रिप्शन की अंडरराईटिंग

इसके बाद, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, 'संबंधित पार्टी लेनदेन' का अर्थ कंपनी ओर संबंधित पार्टी के बीच संसाधनों, सेवाओं अथवा दायित्वों का हस्तांतरण है भले ही इसके लिए कीमत वसूली गई हो और संबंधित पार्टी के साथ 'लेनदेन' के अर्थ में संविदा में एक लेनदन अथवा सामूहिक लेनदेन को भी शामिल किया जाएगा।

10. संबंधी - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अनुसार, 'संबंधी' का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति का संबंधी है:
क) हिंदू विभाजित परिवार के सदस्य के रूप में
ख) पति और पत्नी के रूप में
ग) पिता जिसमें सौतेला पिता भी शामिल है
घ) माता जिसमें सौतेली माता भी शामिल है
ड) पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है
च) पुत्रवधु
छ) पुत्री
ज) दामाद
झ) भाई जिसमें सौतेला भाई भी शामिल है
ट) बहन जिसमें सौतेली बहन भी शामिल है।

11. सहायक कंपनी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अनुसार, किसी अन्य कंपनी के संदर्भ में 'सहायक कंपनी' अथवा 'सहायिका' (अर्थात धारक कंपनी) का अर्थ ऐसी कंपनी से हे जिसमें धारक कंपनी :

(1) निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है अथवा

(2) जिसके पास स्वयं या एक से अधिक सहायक कंपनी के साथ कुल शेयर पूँजी का आधे से अधिक अंश का उपयोग या नियंत्रण ।

बशर्ते धारक कंपिनयों की ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों, जैसा निर्धारित किया गया हो, के पास इस संख्या से अधिक सहायक कंपनियों के संस्तर नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन हेतु -

(क) कोई भी कंपनी, धारक कंपनी की सहायक कंपनी तभी बन पाएगी यदि उप खंड (i) या उप खंड (ii) में उल्लिखित नियंत्रण, धारक कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी का हो ।

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अन्य किसी दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित तभी माना जाएगा यदि दूसरी कंपनी अपने विवेकानुसार कुछ शक्तियों के उपयोग द्वारा सभी अथवा अधिकांश निदेशको की नियुक्ति या निष्कासन का अधिकर रखती हो।

(ग) "कंपनी" शब्द का अर्थ किसी कॉर्पोरेट संस्था को शामिल करने से है ।

(घ) धारक कंपनी के साथ "लेयर" शब्द का अर्थ उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों से है।

V. संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन की मेटीरियलिटी

संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन 'मेटीरियल' तभी माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली लेनदेन अथवा एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली लेनदेन के साथ सामूहिक रूप में की जाने वाली लेन-देन कंपनी की वार्षिक समेकित टर्नओवर से 10 प्रतिशत अधिक हो जाती है जैसा कि कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय सारणियों में उल्लिखित किया गया है।

VI. संबंधित पार्टी से लेन-देन की प्रक्रिया

कंपनी संबंधित पार्टी के साथ केवल निम्नलिखित के लिए पूर्व अनुमोदन के बाद ही संविदा या व्यवस्था या लेनदेन कर सकती है :-

क. लेखा परीक्षा समिति : लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन संबंधित पार्टी की सभी लेनदेन के लिए बैठक या सर्कुलेशन द्वारा अपेक्षित होगा। लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित पार्टी के लिए प्रस्तावित लेन-देन हेतु सर्वग्राही अनुमोदन भी मंजूर कर सकती है:

क. लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सर्वग्राही अनुमोदन देते समय मानदंड निर्धारित करती है तथा ऐसे अनुमोदन उन लेनदेन पर लागू होंगे जो बार-बार दोहराए जाते हैं।

ख. लेखापरीक्षा समिति बार-बार लेन-देन हेतु सर्वग्राही अनुमोदन की जरूरत से अपनी संतुष्टि करेगी और देखेगी कि इस तरह के अनुमोदन कंपनी के हित में होते है ।

ग. सर्वग्राही अनुमोदन हेतु मानदंड निर्दिष्ट करते समय लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित कारको को ध्यान में रखती है :

i. पुनरावृति लेन-देन (पूर्व में या भविष्य में)

ii सर्वग्राही अनुमोदन की जरूरत के लिए औचित्य ।

घ. सर्वग्राही अनुमोदन निम्नलिखित स्पष्ट करेंगे :-

i. संबंधित पार्टी का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, एक वर्ष में लेनदेन की अधिकतम राशि, अर्थात स्वीकृत प्रत्येक लेन-देन की अधिकतम राशि

ii. अनुमानित मूल कीमत/वर्तमान संविदा मूल्य तथा मूल्य में परिवर्तन के लिए विधि, यदि है तो, तथा

iii. ऐसी कुछ शर्ते जो लेखापरीक्षा समिति ठीक समझे ।

तथापि, संबंधित पार्टी के लिए लेन-देन की आवश्यकता पहले से अनुमानित नहीं की जा सकती है और जिनके उपरोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखा परीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के विषय में जिनका लेनदेन 1 करोड रुपए प्रति लेन-देन मूल्य से ज्यादा है सर्वग्राही अनुमोदन दे सकती है।

ड. लेखा परीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा की गई संबंधित पार्टी की लेनदेन के विवरणों की समीक्षा कम से कम तिमाही आधार पर करेगी।

च. सर्वग्राही अनुमोदन, एक अवधि के लिए वैध होगा जो एक वित्तीय वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन जारी करने होंगे।

छ. सर्वग्राही अनुमोदन कंपनी के विक्रय अथवा निपटान के सम्बन्ध में लेनदेन के लिए जारी नहीं किए जाएंगे।

ख. निदेशक मंडल : संबंधित पार्टी के साथ की गई सभी लेनदेन जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित की गई है (i) व्यापार की साधारण कार्य प्रणाली के अलावा ; तथा/या (ii) लघु लेनदेन पर आधारित लेनदेन को छोड़कर, अन्य सभी लेनदेन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल से पूर्व अनुमोदन लेना होगा जिसके लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता है।

ऐसा कोई भी निदेशक जो किसी संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन में रुचि रखता है, वह ऐसी लेनदेन से संबंधित चर्चा तथा मताधिकार से स्वयं को दूर रखेगा।

इस नीति के खंडों के अनुसार संबंधित पार्टी की सभी लेनदेन के संबंध में अनुमोदन हेतु (सर्वग्राही अनुमोदन अथवा अनुसमर्थन सहित) संबंधित एसबीयू/विभागाध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति और / या निदेशक मंडल के समक्ष कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

1) उधार, संसाधन गतिशीलता, अधिशेष निवेश, बैंकिंग, वित्त और खाते, दोषी से संबंधित मामले।
2) ऋण स्वीकृति एवं संवितरण (आगामी छूट हेतु प्रस्ताव/संशोधन आदि तथा ब्याज दर में छूट, यदि कोई है) से संबंधित मामले।
3) सामान, सामग्री या उपकरणों की बिक्री, खरीद अथवा आपूर्ति।
4) परामर्शदाता आदि की नियुक्ति सहित किसी व्यक्ति की सेवाएं लेने अथवा सेवाएं देने से संबंधित मामले।
5) किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद, बिक्री या निपटान अथवा किराए पर देने से संबंधित मामले।
6) सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामले।
7) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित सभी एचआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन (सीसी) तथा कार्मिक संबंधी मामले।
8) कंपनी के किसी भी विभाग से संबंधित अन्य मामले जिन्हें उपरोक्त मामलों में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जो इस नीति में वर्णित ''संबंधित पार्टी लेनदेन'' की परिभाषा में आते हैं।

ग. कंपनी के शेयर धारक : कंपनी के शेयर धारको का पूर्व अनुमोदन निम्नलिखित मामलो में आवश्यक होगा :-

क) संकल्प के माध्यम से सूचीगत समझौते के अनुसार संबंधी पार्टी के साथ मेटीरियल संबंधी लेन-देन ;

ख) संबंधित पार्टी के साथ सभी लेन-देन जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित की गई है (i) व्यापार की साधारण कार्य प्रणाली के अलावा ; तथा/या (ii) लघु प्रक्रिया पर आधारित प्रक्रिया के अलावा जिसका मूल्य, कंपनी नियमावली 2014 के नियम 15 (बोर्ड की मीटिंग तथा इसके अधिकारों) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित की गई अधिकतम सीमा से ज्यादा हो जाता है तब वह कंपनी जैसा साधारण संकल्प के माध्यम के नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार लेन-देन की प्रक्रति**	**शेयर धारको के अनुमोदन हेतु अधिकतम सीमा**
1	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी सामान अथवा सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति ।	कंपनी के टर्नओवर से 10 प्रतिशत से अधिक या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो ।
2	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी तरह की संपत्ति की बिक्री, निपटान या खरीद, ।	कंपनी के टर्नओवर से 10 प्रतिशत से अधिक या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो ।
3	किसी भी तरह की संपत्ति को उधार पर देना ।	कंपनी के टर्नओवर से 10 प्रतिशत से अधिक होने पर या कंपनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत या 100 करोड़ रूपए, जो भी कम हो ।
4	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाना ।	कंपनी के 10 प्रतिशत से अधिक टर्नओवर या 50 करोड़ , जो भी कम हो ।
5	सामान, सामग्री, सेवाओं अथवा संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए एजेंट की नियुक्ति ।	उपर्युक्त बिंदु 1,2 और 4 में निर्धारित सीमा के अनुसार ।
6	ऐसी संबंधित पार्टी की किसी कार्यालय में या कंपनी में, इसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में लाभ के पद पर नियुक्ति।	मासिक पारिश्रमिक 2.50 लाख रूपए प्रति मॉस से अधिक पर ।
7	कंपनी की प्रतिभूतियों अथवा सम्बंधित राशि के सब्सक्रिप्शन की अंडरराइटिंग ।	कंपनी की कुल राशि के 1 प्रतिशत से अधिक ।

आगे, यदि कंपनी के शेयरधारक, किसी भी कारण से या एक साथ की गई उपर्युक्त वर्णित लेन-देन की समग्र सीमा की स्वीकृति हेतु संकल्प पारित करते हैं, तब समग्र सीमा एक साथ की गई सभी लेन-देन पर लागू होगी ।

व्याख्या :-

1. उप खंड 1) से 4) में उल्लिखित सीमा, व्यक्तिगत लेनदेन या एक वित्तीय वर्ष के दौरान सामूहिक रूप से की जाने वाली पिछली लेन-देन पर लागू होगी।

2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर टर्नओवर या कुल राशि की गणना की जाएगी ।

3. संबंधित पार्टियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं मताधिकार से दूर रहेगी भले ही कोई संस्था विशेष लेन-देन से सम्बंधित पार्टी है या नहीं ।

VII. संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन के विषय में शेयरधारक, निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षा समिति से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए सूचना का प्रकटन।

संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन के विषय में लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :-

(क) संबंधित पार्टी का नाम तथा उसके साथ संबंध की प्रकृति ;
(ख) संविदा की प्रक्रति, अवधि तथा संविदा या व्यवस्था के विवरण ;
(ग) संविदा या व्यवस्था की मेटीरियल संबंधी शर्तें जिसमें उसकी कीमत, यदि कोई है, भी शामिल है;
(घ) संविदा या व्यवस्था हेतु अग्रिम भुगतान या प्राप्ति, यदि है तो ;
(ङ) मूल्य एवं अन्य वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने की विधि जिसमें संविदा का भाग शामिल है और जिसे संविदा के भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, भी शामिल है ;
(च) क्या संविदा से सम्बंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तब कारकों पर विचार न करने का कारण बताएं ;
(छ) प्रस्तावित लेन-देन पर बोर्ड द्वारा निर्णय लेने हेतु कोई अन्य संबंधित या विशेष सूचना।

आगे, शेयरधारकों से अनुमोदन हेतु आम बैठक की सूचनार्थ ब्याख्यात्मक सारणियों में निम्नलिखित सूचना निहित होगी:-

क) संबंधी पार्टी का नाम;
ख) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का नाम, जो पार्टी से संबंधित है, यदि है तो, ;
ग) संबंध की प्रकृति

घ) प्रकृति, मेटीरियल की शर्तें, मौद्रिक कीमत तथा संविदा या व्यवस्था का विवरण;
ङ) प्रस्तावित संकल्प पर सदस्यों के लिए निर्णय लेने पर कोई अन्य सम्बंधित या विशेष सूचना ।

VIII. बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन बिना संबंधी पार्टियों के साथ लेनदेन की बहाली

किसी भी संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के मामले में जहां लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति लेना संभव नहीं होता है, उन विशेष परिस्थितियों में संबंधित पार्टी के साथ की गई लेनदेन से तीन महीने की अवधि में लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, जैसा मुद्दा हो, द्वारा बहाली किया जाना अपेक्षित होगा।

इसके बाद, लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी की लेनदेन की बहाली के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित विभाग को पूर्व स्वीकृति लिए बिना संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन करने के लिए कार्यसूची नोट में उपयुक्त औचित्य देना होगा।

इस तरह की संविदा अथवा व्यवस्था के तीन महीने के अंदर बैठक में यदि बोर्ड द्वारा इसकी बहाली नहीं की जाती है अथवा जैसा मुद्दा हो, तब इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था को बोर्ड के विकल्प पर अमान्य करार दिया जाएगा और यदि संविदा अथवा व्यवस्था किसी भी निदेशक की संबंधी पार्टी के साथ है अथवा किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत की गई है, तब संबंधी निदेशकगण कंपनी द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे।

IX. प्रकटन

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुरूप बोर्ड/शेयरधारकों की स्वीकृति सहित संबंधित पार्टी के साथ की गई प्रत्येक संविदा अथवा व्यवस्था को इस तरह की संविदाओं और व्यवस्थाओं के लिए समुचित औचित्य सहित शेयरधारकों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा।

   संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के साथ वर्णित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फार्म एओसी-2 अथवा समय-समय पर

संबंधी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य किसी फार्म में (इस नीति के अनुलग्नक-1 में संलग्नित) कंपनी के निदेशक रिपोर्ट में प्रकटन किए जाएंगे।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित संबंधित पार्टी के साथ किए गए लेनदेन के विवरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के अंदर फार्म एओसी-2 अथवा समय-समय पर संबंधी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य किसी फार्म में लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. संबंधित पार्टियों के साथ सभी मेटीरियल लेनदेन के विवरण का प्रकटन कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ त्रैमासिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंज को भेजने के लिए किया जाएगा।

4. इस नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसके लिए एक वेबलिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

5. लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार आवश्यक अन्य प्रकटन।

X. संशोधन अधिकार

सांविधिक उपबंधों/अन्य अर्हता आदि में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नीतियों के किसी भी खंड में बदलाव/संशोधन/परिवर्तन/जोड़ने/हटाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया गया है।

अनुलग्नक-1

फार्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपधारा (3) के उपखंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014) का अनुपालन)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन के लिए फार्म जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ लघु लेनदेन भी शामिल है1

1. संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन के विवरण जो लघु लेनदेन पर आधारित न हों
   (क) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति
   (ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति
   (ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि
   (घ) संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन की शर्तें जिनमें मूल्य, यदि कोई है, भी शामिल है1
   (ड) इस प्रकार की संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन करने का औचित्य
   (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि
   (छ) भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि कोई है।
   (ज) धारा 188 के अंतर्गत प्रथम प्रावधान के अधीन आवश्यक आम बैठक में पारित प्रस्ताव की तिथि ।

2. आर्म लेंग्थ ट्रांजेक्शन पर आधारित मेटीरियल संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनेदन के विवरण:
   (क) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति
   (ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति
   (ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि
   (घ) संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेन की शर्तें जिनमें मूल्य, यदि कोई है, शामिल है1
   (ड) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि
   (च) भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि कोई है।

   (फार्म उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।)